भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2430

17 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण

2430. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में कितनी प्रगति हुई है तथा इस प्रणाली से फर्जी राशन कार्डों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफ़एसए) जैसी कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जाए; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज को कम करने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने में आधार-आधारित प्रमाणीकरण, ईकेवाईसी सत्यापन तथा इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों का क्या प्रभाव है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रौद्योगिकी संचालित सुधारों के एक भाग के रूप में, सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूर्णत: (100%) डिजिटल कर दिया गया है। इसके अलावा, सभी राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों में राशन कार्ड डाटा के डिजिटलीकरण, डिजिटल डाटा के निरंतर डी-डुप्लीकेशन, स्थायी प्रवास, मृत्यु, अपात्र राशन कार्डों की पहचान आदि के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सिस्टम से अपात्र राशन कार्डों को हटाने में सक्षम हुए हैं।

...2/-

(ख): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश 2015 के अनुसार, राशन कार्डों/लाभार्थियों की सूची की समीक्षा, जाली/अपात्र/डुप्लीकेट राशन कार्डों की पहचान और वास्तविक पात्र लाभार्थियों/परिवारों को शामिल करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी है। इस संबंध में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे प्रत्येक चिह्नित मामले का उचित सत्यापन (फील्ड सत्यापन सहित) करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक लाभार्थियों के राशन कार्डों को रद्द नहीं किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की अधिकतम सीमा के तहत रद्द किए गए राशन कार्डों के स्थान पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तविक पात्र परिवारों/लाभार्थियों को लगातार नए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, ताकि सब्सिडीयुक्त खाद्यान्नों को सही प्रकार से लक्षित किया जा सके।

(ग): पीडीएस सुधारों के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर 99.8% राशनकार्ड आधार संख्या के साथ जुड़े हुए हैं और पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्नों के पारदर्शी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) वितरण के लिए ई-पीओएस उपकरणों की स्थापना करके लगभग सभी उचित दर दुकानों (एफपीएस) को स्वचालित की दिया गया है। पीडीएस प्रणाली में लीकेज को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रमाणन के माध्यम से लगभग 98% वितरण किया जाता है।

****